


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 34/2021 बउनवानी लक्ष्मीनारायण बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा
पुत्र श्री भगवान सहाय सैनी, नि.दुकान नं.-21 सालासर वाटिका-6,
नाथ जी की थडी के पास झोटवाड जयपुर

GCMS No-2021/75

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.7. 2021	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 22.2.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <p>:--प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.01.2021 को उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को एक पत्र लिखा गया था जिनका विषय "महापुरा मैन रोड से कुम्हारो की झोपडिया होकर खेडा तक जाने वाले आम रास्ता पर जंगली बबूल(कटीली बूलिया)को हटाकर मोरम व सीमेन्टड सीसी रोड बनवाने बाबत" था। उक्त प्रा0 पत्र पर निम्न सूचना उपलब्ध करावे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उक्त प्रा0पत्र की प्रति एवं संलग्न किये गये दस्तावेज। 2. उक्त पत्र को डाक आवक जावक रजिस्टर के जिस पृष्ठ पर इन्द्राज किया है उसकी प्रति। 3. उक्त लिखे गये पत्र पर चलाई गयी समस्त नोटशीटे। 4. संबंधित समस्त पत्रावलियों के आगे व पीछे के फाईल कवर। 5. उक्त पत्र पर की गयी समस्त कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज। 6. उक्त पत्र के संबंध में आपके विभाग द्वारा एवं अन्य किसी विभाग द्वारा किया गया समस्त प्रकार का पत्राचार की प्रति। 7. उक्त पत्र के संबंध में संघारित समस्त पत्रावली। 8. उक्त पत्र पर विभाग में कार्यवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी/लोकसेवक का नाम, पिता का नाम,दूरभाष नम्बर,निवासी स्थान का पता, वर्तमान पदस्थापन की सूचना उपलब्ध करावे। 9. उक्त पत्र पर विभाग द्वारा कार्यवाही जिस नियम के तहत नहीं की गयी है उसकी प्रति। 10. उक्त पत्र पर विभाग में कार्यवाही नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी/लोक सेवक का नाम, पिता का नाम,दूरभाष नम्बर, निवास स्थान का पता तथा वर्तमान पदस्थापन से संबंधित सूचना उपलब्ध करावे। <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p> <p>नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक सूकाअ/2021/2831 दिनांक 01.07.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.2.2021 में चाही गयी सूचना में से बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5,6,7,9,10 की सूचना अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 8 पर वर्णित सूचना व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में होने के कारण उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.2.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5,6,7,9,10 की सूचना अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 8 पर वर्णित सूचना व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में होने के कारण उपलब्ध करवाये जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर </div>